E-mail

बिहार सरकार

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांकः–.....

संख्याः–9/आरोप (राज0) (उ0)–2–22/2012 2962 / श्री सुरेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन निरीक्षक उत्पाद, समस्तीपुर को रू0–10,000/–(दस हजार) रिश्वत लेने के आरोप में निगरानी धावा दल द्वारा निगरानी थाना काण्ड संख्या–053/2007 दिनांक 24.04.2007 दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के परिणाम स्वरूप बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम–3 में निहित प्रावधान के तहत् सरकारी सेवक के लिये निर्धारित आचरण के प्रतिकूल कार्य करने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम–14 (Xi) के परन्तुक के तहत मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 24.06.2014 के मद सं0–18 के रूप में लिये गये निर्णय के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या–2743 दिनांक 27.06.2014 द्वारा सेवा से बर्खास्तगी का दण्ड अधिरोपित किया गया।

2. श्री प्रसाद द्वारा अधिरोपित दण्ड के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC NO–13744/2014 दायर किया गया। उक्त याचिका में दिनांक 30.10.2017 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है कि :– On the face of it, it appears that the finding of the Enquiry Officer with regard to guilt of misconduct of the petitioner is based on no evidence and, therefore, the punishment inflicting on such enquiry report based on no evidence is also bad and is illegal and not sustainable in the eye of law.

Consequently, the writ petition is allowed and the order, dated 27.06.2013, as contained jn Memo No. 2743, Annexure 1, by which the petitioner has been terminated from service of Excise Inspector, is set aside."

3. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 30.10.2017 को पारित आदेश के विरूद्ध LPA दायर करने हेतु विधि विभाग से परामर्श प्राप्त की गयी। विद्वान महाधिवक्ता का मंतव्य है कि –It is, thus, apparently a case of ' no evidence' or 'no legal evidence at all' even remotely implicating this petitioner in the departmental proceeding which will lead to his dismissal from services.

In my view, thus, no useful purpose would be served in filing Letters Patent Appeal against the order of the Hon'ble Writ Court.

4. निगरानी विभाग (अन्वेषण व्यूरो), बिहार, पटना के पत्रांक–5047 दिनांक 01.10.12 द्वारा सूचित किया गया है कि आपराधिक वाद में श्री सुरेन्द्र प्रसाद के विरूद्ध आरोप पत्र सं0–95/2007 दिनांक 24.04.2007 समर्पित किया गया है। आपराधिक वाद माननीय विशेष न्यायालय निगरानी के अधीन विचाराधीन है और न्यायादेश प्रतीक्ष्य है।

5. अतएव उक्त के आलोक में पूर्ण विचारोपरान्त माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0नं0–13744/2014 में दिनांक 30.10.2017 को पारित आदेश के आलोक में श्री सुरेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन निरीक्षक उत्पाद, समस्तीपुर के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना सं0–2743 दिनांक 27.06.2014 द्वारा अधिरोपित सेवा से बर्खास्तगी का दण्ड को इस शर्त के साथ निरस्त किया जाता है कि यदि श्री प्रसाद के विरूद्ध निगरानी थाना काण्ड संख्या–053/2007 दिनांक 20.04.2017 दर्ज है, उक्त आपराधिक काण्ड में भविष्य में सजा होगी तो पुनः विभाग के द्वारा दंडित किये जा सकेगें।श्री प्रसाद को सेवा में पुनः स्थापन के फलस्वरूप अनुमान्य वित्तीय लाभ देय होगा।

6. इसमें सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(अभय राज)
सरकार के संयुक्त सचिव,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक –9/आरोप (राज0) (उ0)–2–22/2012...../ पटना, दिनांकः–.....

प्रतिलिपिः–अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/वित्त विभाग ई–गजट कोषांग को (सी0डी0 सहित) राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 9/आरोप (राज0) (उ0)–2–22/2012...../ पटना, दिनांकः–.....

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले0 एवं ह0) वीरचंद पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– V/एम.1–417/2015 2962 पटना, दिनांकः– 29.08.18

प्रतिलिपिः–मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–24.08.2018 के मद संख्या–11/ सभी उपायुक्त उत्पाद/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/आयुक्त उत्पाद–सह–निबंधन महानिरीक्षक के आप्त सचिव/राजपत्रित स्थापना शाखा–5/आई0टी0 मनेजन एवं श्री सुरेन्द्र प्रसाद तत्कालीन अधीक्षक उत्पाद समस्तीपुर सम्प्रति सेवा से बर्खास्त, क्वाटर नं0–J–135 P. C Colony कंकड़बाग, थाना–कंकड़बाग, जिला पटना–20 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव,
बिहार, पटना।